

फर्द अहकाम

पूनीराम बनाम कैलाश

नाम न्यायालय

A-CM कलसी

केस संख्या

प्रा-पत्र

108/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवेक
	28/03/25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहल सुनने एक माह से अधिक समय हो चुका है। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पुनः बहल सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दोराने बहल जाहिर लक्ष्यों पर मनन करने के उपरान्त प्राथमिकता का प्रा-पत्र बाकत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28/06/2024 मंजूर किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो इस आदेश का भाग रहेगा।</p> <p>पत्रावली फेल ल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो</p>	

सहायक कलक्टर
कलसी जिला-जयपुर